



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11032023-244268
CG-DL-W-11032023-244268

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 5—मार्च 11, 2023, शनिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1944
No. 9] NEW DELHI, MARCH 5—MARCH 11, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय में न्याचार अधिकारी (प्रोटोकाल ऑफिसर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, न्याचार अधिकारी (प्रोटोकाल ऑफिसर), (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद अथवा अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
न्यायाचार अधिकारी (प्रोटोकाल ऑफिसर)	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900/- 142400/- रुपए)	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन :-

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन:

केंद्रीय सरकार जिसके अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सशस्त्र बल भी है, के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 6 (रु. 35400-1,12,400) में या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विद्याशाखा में बैचलर डिग्री

(ii) भारत सरकार के संयुक्त सचिव या ऊपर की पंक्ति के कार्यालय से संलग्न न्याचार का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-11013/01/2022-प्रशा01]

सर्वेश कुमार आर्य, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Cabinet Secretariat, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat Protocol Officer (Group 'B') post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.- The method of recruitment, age- limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in that regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Protocol Officer	01* (2023) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900–142400)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
Deputation/Absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Deputation/Absorption :- Officers under the Central Government, including Central Armed Police Forces and Armed Forces: (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department : or (ii) With five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Bachelors Degree in any discipline from a recognised University or Institute; (ii) Three years of protocol experience attached with an officer of the rank of Joint Secretary or above of the Government of India. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11013/01/2022-Ad.I.]

SARWESH KUMAR ARYA, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम 1968 को, जहाँ तक उसका संबंध अनुदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में व्यावसायिक प्रशिक्षण कर्मशाला में अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, अनुदेशक(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
अनुदेशक।	04* (चार) (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)।

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और संघ राज्य-क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।	आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यताप्राप्त संस्था से उस व्यवसाय में एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुदेशक अपेक्षित है। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों को जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर निदेशक -अध्यक्ष; (2) उप-निदेशक(पुनर्वास) -सदस्य; (3) प्राचार्य(भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास) -सदस्य; (4) संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/48/2016-एमएच.II/एन.सी.डी-1]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules 1968, in so far as they relate to the post of Instructors, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Instructor in Vocational Training Workshop, in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Instructor (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Instructor.	04* (Four) 2023 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 years and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential qualifications: (i) 10th class pass from a recognized Board. (ii) Industrial Training Institute or One year certificate course in the trade in which the Instructor for Vocational Training is required from recognized institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.

	(1) Additional Director (2) Deputy Director (Rehab) (3) Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) (4) Concerned Head of Department	-Chairman, -Member; -Member; - Member.	
--	--	---	--

[F. No. A.11018/48/2016-MH-II/NCD.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1982 को, जहाँ तक उसका संबंध थियेटर सेवक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में ऑपरेशन थियेटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, ऑपरेशन थियेटर परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं, आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
ऑपरेशन थियेटर परिचर।	01* (एक) (2023 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)।

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच *पद के अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने के दशा में यह 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयुसीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और संघ राज्य-क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र। आवश्यक अनुभव: न्यूनतम 50 विस्तर वाले किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में कार्य करने का कम से कम छः माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों को जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिए 1. अपर निदेशक -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (पुनर्वास) - सदस्य; 3. प्राचार्य(भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास) - सदस्य; 3. सहायक परिचर्या अधीक्षक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/08/2017-एमएच II/ एन.सी.डी-1]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982, in so far as they relate to the post of Theatre servant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Operation Theatre Attendant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment to said post, age limit, qualification and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Operation Theatre Attendant.	01* (One) (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 in pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 years and 25 years*. *In case the post being filled up by all India open competition, it would be between 18 years and 25 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.	Essential Qualifications: (i) 10th pass from recognized Board and (ii) Certificate in First Aid from a recognized Institute. Essential Experience: Minimum six months' experience of working in an Operation Theatre of a recognized hospital of minimum 50 beds Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis; or (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. (7). Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee for confirmation 1. Additional Director - Chairman, 2. Deputy Director (Rehabilitation) - Member, 3. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) - Member, 4. Assistant Nursing Superintendent - Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/08/2017-MH.II/NCD.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 21.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे, (वर्ग III एवं वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रवर श्रेणी लिपिक	09* (नौ) 2023 *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन- मैट्रिक्स में स्तर -4 (25,500-81,000 रुपये)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष।

	परिवर्तन किया जा सकता है।				टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।	
--	---------------------------	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष। सीधी भर्ती के सभी मामलों में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के सफल समापन को परिवीक्षा पूरा करने के लिए एक पूर्वपेक्षा बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से परामर्श करके निर्धारित किया जा सकता है। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 'शून्य'।	'50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।'

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हों; (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जो स्तंभ (7) में विहित अर्हताएँ रखते हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर निदेशक -अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (पुनर्वास) -सदस्य; (3) आचार्य (काय आयुर्विज्ञान पुनर्वास) -सदस्य; (4) संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर निदेशक -अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (पुनर्वास) -सदस्य; (3) आचार्य (काय आयुर्विज्ञान पुनर्वास) -सदस्य; (4) संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/17/2015-एमएच II/एन.सी.डी-1]

वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, (Class III and Class IV Posts), Recruitment Rules 1968, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk, in the All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Upper Division Clerk (Group ‘C’ Posts), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating that to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk	9* (Nine)2023 *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level-4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: Possessing of a Degree or equivalent from a recognized University.
Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by	

the SSC.	
----------	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. In all cases of direct recruitment there should be a mandatory induction training of at least two weeks duration. Successful completion of the training may be made a pre-requisite for completion of probation. The syllabus for the training may be prescribed by the Cadre authorities in consultation with the Training Division of Department of Personnel and Training. 'Nil' for promotees.	" 50% by promotion failing which by deputation and 50% by Direct recruitment through S.S.C."

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk (Level 2 in the pay matrix) with 8 years' service in the grade. Deputation: Officer from Central Government (i) holding analogous posts (ii) with 8 years regular service in the post in the level 2 of pay matrix possessing educational qualifications mentioned in column No. (7).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director - Chairman 2. Deputy Director (Rehabilitation) - Member 3. Professor (Physical Medicine Rehabilitation) - Member 4. Concerned Head of Department - Member Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director - Chairman 2. Deputy Director (Rehabilitation) - Member 3. Professor (Physical Medicine Rehabilitation) - Member 4. Concerned Head of Department - Member	Not applicable.

[F. No. A.11018/17/2015-MH.II/NCD.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, नर्सिंग सिस्टर भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में ज्येष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, ज्येष्ठ नर्सिंग अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
4. **निरर्हता: वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसका पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ नर्सिंग अधिकारी।	*12 (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/-)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा कि अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि
---	--------------------------------	--

व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रु) में ऐसे नर्सिंग अधिकारी जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो और निकटम प्रमूल देखरेख केन्द्र में दो से चार सप्ताह का नर्सिंग पुनश्चर्या प्रशिक्षण या नर्सिंग कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन नर्स के रूप में कार्यरत ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात् 1. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस (आनर्स) में डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस में डिग्री। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और नर्सिंग मिडवाइफ (आरएन और आरएम) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो। या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - सदस्य; 3. निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - सदस्य;	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2. (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से साधारण नर्सिंग मिडवाइफ में डिप्लोमा या पुरुषों के लिए अनुकल्पी पाठ्यक्रम। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और नर्सिंग मिडवाइफ (आरएन और आरएम) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली है। टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. ए 12018/15/2017-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 2023

G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Nursing Sister, Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Tamil Nadu in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Senior Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Nursing Officer.	12* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation including short term contract.	Promotion: Nursing Officer in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years of regular service in the grade and having undergone a two to four weeks of nursing refresher training or training for updating nursing

	skill in nearby tertiary care center. Deputation (including short term contract): Officers working as Nurse under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years service after appointment to the post on a regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: 1.(i) a degree in Bachelor of Science (Hons.) in Nursing from a recognised University or Institute. OR a degree in Bachelor of Science Nursing from a recognised University or Institute. (ii) Registered as a Nurse and Nursing Midwife (RN and RM) with the State Nursing Council. OR 2. (i) Diploma in General Nursing Mid-wife or alternative course for male from a recognised Board or Council. (ii) Registered as a Nurse and Nursing Mid-wife (RN and RM) with the State Nursing Council. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (including short term contract).
1.Additional Director General, Directorate General of Health Services - Chairman;	

2. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services	– Member;	
3. Director (A and V), Directorate General of Health Services	– Member;	
4. Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services	– Member.	

[F. No. A-12018/15/2017-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.